



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022020-215930
CG-DL-E-06022020-215930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]
No. 444]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2020/माघ 11, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2020/MAGHA 11, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

का.आ. 478(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक एवं हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इस आदेश को रबड़ होज फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश 01 अगस्त, 2020 से प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग.—निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो उक्त तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
रबड़ होज फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	आईएस 9573 (भाग 1):2017	रबड़ होज फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) - विशेषताएं भाग -1 औद्योगिक अनुप्रयोग
	आईएस 9573 (भाग 2):2017	रबड़ होज फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)- विशेषताएं भाग-2 घरेलू और वाणिज्यिक अनुप्रयोग

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

[फा.सं.10(49)/2015-एलआर]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 28th January, 2020

S.O. 478(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Rubber Hose for Liquefied Petroleum Gas (LPG) (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force with effect from 1st August 2020.

2. Compulsory use of Standard Mark.—Goods or articles specified in column (1) of the below mentioned Table shall conform to the corresponding Indian Standard as specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme -I of Schedule II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and Enforcement Authority.—The Bureau shall be the certifying and enforcement authority for goods or articles specified in the column (1) of the Table.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Rubber Hose for Liquefied Petroleum Gas (LPG)	IS 9573 (Part 1):2017	Rubber Hose for Liquefied Petroleum Gas(LPG)- Specification Part-1 Industrial Application
	IS 9573 (Part 2):2017	Rubber Hose for Liquefied Petroleum Gas (LPG)- Specification Part-2 Domestic and Commercial Application

Note: For the purpose of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No.10(49)/2015-LR]

ANIL AGRAWAL, Jt Secy.